

1/181195/2024

संख्या: 181195 /XVII(4)/2024-02(02)2009-TC-23148

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1, देहरादून: दिनांक 10 जनवरी, 2024

विषय:- "नन्दा गौरा योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या-सी-3942/न0गौ0योजना-6033/भुगतान/2023-24 दिनांक 08.01.2024 में किये गये अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्दा गौरा योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-144121/XVII(4)/2023-02-(02)/2009TC दिनांक 07 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3(ख) के बिन्दु सं0-5 में निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित प्राविधान को कॉलम-3 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार संशोधित पढ़ा व समझा जाये:-

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान का प्रस्ताव
1	2	3
शासनादेश सं0-144121 दिनांक 07.08.2023 के प्रस्तर-3(ख) के बिन्दु सं0-5 में संशोधन किया जाना है।	बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों (निजी विद्यालयों में आर0टी0ई0 (R.T.E.)के अन्तर्गत पंजीकृत) में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 सी0 बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	पात्र बालिकाओ को निम्नलिखित बोर्ड/विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ-साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक होगा :- 1. - बालिका ने शासकीय विद्यालय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्ध वित्त विहिन निजी विद्यालय से संस्थागत/व्यक्तिगत रूप से 12वीं उत्तीर्ण की हो। इसमें शासकीय विद्यालयों से तात्पर्य- उत्तराखण्ड राज्य बोर्ड/ केन्द्रीय विद्यालय/सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/ आई0सी0एस0सी0 बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई

		<p>दिल्ली(NIOS), बोर्ड, अन्य राज्यों के बोर्ड के शासकीय विद्यालयों से है।</p> <p>2. - निजी विद्यालयों (ICSE/CBSE) की ऐसी 12वीं उत्तीर्ण पात्र बालिकायें भी आवेदन हेतु अर्ह होंगी, जिनको उस निजी विद्यालय में कक्षा 8 तक के लिये आर0टी0ई0 (R.T.E.) के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>उक्त प्राविधान के साक्ष्य के रूप में बालिकाओं को 12वीं उत्तीर्ण की अंकतालिका/सर्टिफिकेट के साथ-साथ स्नाताक/डिप्लोमा में प्रवेश करने के साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p>
--	--	--

2.- "नन्दा गौरा योजना" का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिये जाने हेतु 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2024 तक कार्यहित/जनहित में विस्तारित की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-144121 दिनांक 07.08.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्त/नियम यथावत् प्रभावी होंगे।

Signed by Hari Chandra
Semwal

Date: 10-01-2024 (14:05:30)

सचिव।

संख्या-181195 (1)/XVII(4)/2024-02(02)2009-TC-23148तददिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिंग सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

L/183195/2024

14. सनसल जिला सनाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. सनसल जिला कार्यालय अधिकारी, आइडसीडीएलएल, उत्तराखण्ड।
16. एनआईडीसीडी सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड कार्यालय।

(श्री मन्ड सेन्थल)
सचिव।